भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4485
दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजस्थान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किये गये कार्य

4485. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) राजस्थान में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का जिलावार ब्यौरा क्या है:
(ख) राजस्थान में अब तक उक्त मिशन के अंतर्गत कितने घरों को नल से जल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है;
(ग) क्या सरकार को राजस्थान में उक्त मिशन के अंतर्गत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 2018 से 2023 तक अनियमितताओं, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जेजेएम आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 तक, केवल 11.68 लाख (10.84%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 48.60 लाख और ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल

जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 24.03.2025 तक, राज्य के 107.75 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 60.29 लाख (55.95%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है। दिनांक 24.03.2025 तक राजस्थान में नल जल कनेक्शन वाले परिवारों का जिला-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि वह पारदर्शिता और कार्यदक्षता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गहन निगरानी कर रही है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनियमितताओं, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4485 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	जिला	कुल ग्रामीण परिवार	दिनांक 15.08.2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		दिनांक 24.03.2025 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	संख्या	%
1	अजमेर	1,54,870	35,795	11.25	95,811	61.87
2	अलवर	2,51,884	49,841	9.35	1,54,977	61.53
3	अनूपगढ़	1,26,635	-	-	99,100	78.26
4	बालोतरा	2,13,127	-	-	1,28,167	60.14
5	बांसवाड़ा	3,87,971	14,712	4.46	1,33,687	34.46
6	बारां	2,37,642	14,224	6.41	84,482	35.55
7	बाड़मेर	2,73,250	21,469	5.39	51,973	19.02
8	ब्यावर	1,97,305	-	-	1,26,011	63.87
9	भरतपुर	2,14,551	8,715	2.25	1,29,553	60.38
10	भीलवाड़ा	2,72,909	73,329	16.89	2,23,059	81.73
11	बीकानेर	3,09,203	44,073	18.12	1,74,394	56.40
12	बूंदी	1,92,414	13,046	6.95	69,918	36.34
13	चित्तौड़गढ़	2,93,992	27,830	9.78	84,382	28.70
14	चुरू	3,00,702	27,404	9.28	2,02,557	67.36
15	दौसा	2,56,772	12,902	5.12	1,07,172	41.74
16	डीग	1,76,382	-	-	44,472	25.21
17	धौलपुर	1,81,980	6,009	3.20	84,563	46.47
18	डीडवाना-कुचामन	2,88,659	-	-	2,42,505	84.01
19	दूदू	66,021	-	-	63,705	96.49
20	डुंगरपुर	3,06,166	11,040	4.42	90,599	29.50
22	गंगानगर	1,84,311	15,173	5.12	1,68,025	91.16
23	गंगापुरसिटी	1,52,177			89,077	58.54
24	हनुमानगढ़	2,92,448	77,784	26.80	2,50,373	85.61
25	जयपुर (ग्रामीण)	4,46,671	93,739	17.65	2,68,966	60.22
26	जैसलमेर	1,22,958	2,442	2.35	53,007	43.11
27	जालौर	2,27,356	66,732	19.36	1,41,251	62.13
28	झालावाड़	2,60,395	18,248	7.50	1,83,352	70.41
29	झुंझुनू	2,72,583	59,874	18.13	1,39,667	51.24
30	जोधपुर (ग्रामीण)	3,34,301	28,007	7.49	1,92,672	57.63
21	करौली	1,67,877	14,855	6.93	1,06,574	63.48
31	केकड़ी	1,08,274	-	-	53,262	49.19
32	खैरथल-तिजारा	1,46,391	-	-	91,930	62.80
33	कोटा	1,61,896	11,016	5.62	75,766	46.80
34	कोटपूतली-बहरोड़	2,05,754	-	-	1,18,187	57.44
35	नागौर	3,05,772	86,629	16.92	1,91,912	62.76
36	नीम का थाना	1,89,403	-	-	1,22,899	64.89
37	पाली	3,05,724	1,12,881	31.22	2,49,224	81.52
38	फलौदी	1,12,461			39,471	35.10

क्र.सं.	जिला	कुल ग्रामीण परिवार	दिनांक 15.08.2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		दिनांक 24.03.2025 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	संख्या	%
39	प्रतापगढ़	1,70,006	6,017	3.41	54,618	32.13
40	राजसमंद	2,03,337	65,598	30.65	1,32,567	65.20
41	सलूम्बर	1,32,977	-	-	56,151	42.23
42	सांचौर	1,58,066	-	-	69,780	44.15
43	सवाई माधोपुर	1,42,887	17,740	7.56	90,999	63.69
44	शाहपुरा	1,55,431	-	-	1,49,934	96.46
45	सीकर	2,69,130	43,633	12.36	1,51,849	56.44
46	सिरोही	1,87,110	42,542	24.67	1,08,310	57.89
47	टोंक	2,20,784	9,311	4.19	1,42,027	64.33
48	उदयपुर	4,34,920	41,521	7.72	1,45,956	33.56
कुल		**1,07,74,835**	**11,68,553**	**11.69**	**60,28,903**	**55.95**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

अनुबंध-II

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4485 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध

विभागीय जॉच के जल जीवन मिशन से संबंधित प्रकरणो में निलम्बित राजपत्रित अधिकारियों की सूची (स्थिति दिनांक **15.02.2025**)

क सं	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन का विवरण	पुष्टि दिनांक	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई
1	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा श्री पुरूषोतम मीणा	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग परियोजना खण्ड सरदारशहर सहायक अभियन्ता, O&M, PMC, PHED, सरदारशहर	जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी कार्यादेशो के निष्पादन में पद का दुरूपयोग करते हुए जल जीवन मिशन जैसी महती परियोजना के उदेश्यो पर जानबूझकर प्रतिकूल प्रभाव डालने एवं विभागीय नियमो की पालना नहीं कर पदीप कर्तव्यो के निर्वहन में घोर अनुशासनहीनता कारित किए जाने बाबत् ।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 20.5.2022	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा द्वारा उक्त निलम्बन आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से दिनांक **26.5.2022** को स्टे आदेश प्राप्त किया है। श्री पुरूषोतम मीणा द्वारा उक्त निलम्बन आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से दिनांक **31.5.2022** को स्टे आदेश प्राप्त किया है।	.....	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा एवं श्री पुरूषोतम मीणा के विरूद्व कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक **21.11.2022** द्वारा आरोप पत्र जारी किए जा चुके है, जिसकी जॉच कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।
2	श्री धर्मेन्द्र यादव,	अधिशाषी अभियन्ता	ग्रामीण खण्ड एनसीआर–प्रथम, अलवर में जारी 33 निविदाओ के संदर्भ में प्राप्त शिकायत पर वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल, जयपुर द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट अनुसार HDPE पाईपो के नियम विरूद्व खरीद करने, रू. 1,27,29,784 /– का अनियमित भुगतान करने, फाईव स्टार एनर्जी सेविंग सबमर्सिबल मोटर पम्प सैटो से अत्यधिक कम गुणवत्ता के पम्प सैट की खरीद कर राशि रू. 45,53,105 /– का अनियमित भुगतान करने, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अपने ही स्तर पर अपने अधीनस्थ को स्वयं का तकनीकी सहायक नियम विरूद्व नियुक्त करने, RTPP ACT 2012 एवं 2013 के नियमो का उल्लंघन करने जैसी गंभीर अनियमितताओं बाबत् ।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 23.01.2023	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।	श्री धर्मेन्द्र यादव, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा निलम्बन आदेश के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से आदेश दिनांक **16.5.2023** द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है।	.....	श्री धर्मेन्द्र यादव के विरूद्व कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग के ज्ञापन दिनांक **20.05.2024** द्वारा सीसीए नियम–16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किए जा चुके है, जिसकी जॉच कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।

क्र सं	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन का विवरण	पुष्टि दिनांक	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई
3	श्री योगेन्द्र सिंह, श्री दीपेश कुमार चौधरी, श्री युधिष्ठिर मीणा,	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता,	जल जीवन मिशन के अंतर्गत पचेवर पम्प हाउस से विधानसभा क्षेत्र दूदू के 13 ग्राम एवं ढाणियों की जल योजना में बिना अनुमति OHSR निर्मित किये जाने के संबंध कारित अनियमितता हेतु	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 28.03.2023	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।	श्री योगेन्द्र सिंह, श्री दीपेश कुमार चौधरी एवं श्री युधिष्ठिर मीणा द्वारा उक्त निलम्बन आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर से दिनांक **13.04.2023** को स्टे आदेश प्राप्त किया है।		प्रकरण में सम्बन्धित राजसेवको के विरूद्व आरोप पत्र अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रशासनिक विभाग को प्रस्तावित किए जा चुके है।
4	श्री विपिन जैन	अधीक्षण अभियन्ता, वृत उदयपुर (वर्तमान में सेवानिवृत)	जल जीवन मिशन की गाइडलाईन के विपरीत जाकर 11 मंजिला बिल्डिंग के 600 फ्लैट्स को शामिल कर तकनीकी स्वीकृति जारी करवाने के अनुचित प्रयास किये गये तथा मुख्य अभियन्ता (जल जीवन मिशन) को फर्जी पत्र द्वारा तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृजि जारी कराने के प्रयास किये गये तथा योजना के विलम्ब से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढाने की संभावनो का सृजन किये जाने तथा श्री जैन द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर नहीं रहते हुए भी उनके पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उक्त कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण एवं पदीय दुरूपयोग करने बाबत्।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 16.05.2023	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।	श्री विपिन जैन, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 16.05.2023 के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से आदेश दिनांक 23.08.2023 द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है।	20.6.2023	प्रकरण में श्री विपिन जैन, अधीक्षण अभियन्ता (निलम्बित) जन स्वा. अभि. विभाग, वृत उदयपुर के विरूद्व कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग के ज्ञापन दिनांक से सीसीए नियम–16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किए जा चुके है।

क्र सं	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन का विवरण	पुष्टि दिनांक	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई
5	श्री रामलाल मीणा	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड आमेट	जल योजना भांकरोदा पर श्री भगवती इरिगेशन, जयपुर द्वारा उत्पादित 90mm व 75mm HDPE पाईप उपयोग में लिए गए। इन दोनो साईजो के पाईपो का फैक्ट्री इंस्पेक्शन तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, खंड आमेट श्री रामलाल मीना द्वारा दिनांक 9.7.2022 को किया गया, पाईपो की ईनवाईस दिनांक 6.8.2022 को जारी की गई, दिनांक 25.8.2022 को भुगतान हेतु प्रस्तावित 3 रनिंग बिल में उक्त पाईपो का 70% भुगतान सत्यापित किया गया जबकि श्री भगवती इरिगेशन, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 29.9.2022 से उक्त पाईपो का उत्पादन प्रक्रियाधीन है बाबत् अनुबन्धक को सूचित किया गया तथा पाईपो के फैक्ट्री इंस्पेक्शन हेतु भी अनुरोध किया गया । जबकि तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड आमेट श्री रामलाल मीना द्वारा उक्त 90mm व 75mm HDPE पाईपो की QAP मैसर्स श्री भगवती इरिगेशन, जयपुर के पक्ष में दिनांक 30.9.2022 को अनुमोदित की गई।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 5.7.2023	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।	श्री रामलाल मीणा द्वारा उक्त निलम्बन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर से दिनांक 03.11.2023 को स्टे आदेश प्राप्त किया है।		श्री रामलाल मीना, अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 20.9.2023 से आरोप पत्र जारी किए जा चुके है, जिसकी जॉच कार्मिक विभाग के स्तर प्रकियाधीन है।
6	श्री रवि बवेजा	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, नगर खण्ड श्रीगंगानगर ।	नगर खण्ड श्रीगंगानगर में अनियमितता, निम्न गुणवत्ता पाई जाने के संबंध में ।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 1.08.2023	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।	.....		श्री रवि बवेजा, अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 26.09.2023 द्वारा सीसीए निमय–16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके है, जिसकी जॉच कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।

क्र सं	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन का विवरण	पुष्टि दिनांक	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई
7	श्री विशाल सक्सेना	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड शाहपुरा, जिला जयपुर	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्य पूर्णता पत्र दिनांक 28.12.2021 से मैसर्स गणपति ट्यूबवेल कम्पनी, शाहपुरा को जारी प्रमाण पत्र को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा Fake and Fabricated बताया गया है। जिसका श्री सक्सेना द्वारा फर्जी सत्यापन किया गया है।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 6.9.2023	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।			श्री विशाल सक्सेना के विरूद्व कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक **19.10.2023** से आरोप पत्र जारी किए जा चुके है, , जिसकी जॉच कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।
8	श्री नरेश सिंह	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता	खण्ड सलूम्बर, जिला उदयपुर में पाई गई अनियमितता, निम्न गुणवत्ता की जॉच के संबंध में ।	14.12.2023				श्री नरेश सिंह के विरूद्व कार्मिक कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग के ज्ञापन दिनांक **08.02.2024** द्वारा सीसीए नियम–16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किए जा चुके है, जिसकी जॉच कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।
9	श्री सिद्धार्थ मीणा, श्री हेमन्त कुमार मीणा, श्री नानगराम बैरवा, श्री धारासिंह मीणा, श्री महाराज सिंह गुर्जर,	तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, खण्ड महुवा हाल अधिशाषी अभियंता, परियोजना, खण्ड करौली, अधिशाषी अभियंता, खण्ड महुवा सहायक अभियंता, उपखण्ड महुवा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, अनुभाग महुवा हाल कनिष्ठ अभियंता, अनुभाग मण्डावर, उपखण्ड महुवा तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, अनुभाग मण्डावर, हाल कनिष्ठ अभियंता, अनुभाग महुवा, उपखण्ड महुवा	माननीय मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 12.02.2024 को विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण शाखा एवं दौसा जिले से संबंधित अन्य उच्च अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन योजना पीपलखेडा, खण्ड महुवा, जिला दौसा के निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओ बाबत् ।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 12.02.2024	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।	• श्री सिद्धार्थ मीणा एवं श्री हेमन्त कुमार मीणा द्वारा निलम्बन आदेश के विरूद्व माननीय न्यायलय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। • श्री नानगराम बैरवा एवं श्री धारासिंह मीणा को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक **9.01.2025** से निलम्बन से बहाल किया गया है। • श्री महाराज सिंह गुर्जर को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक **20.09.2024** से निलम्बन से बहाल किया गया है।	29.02.2024	• श्री सिद्धार्थ मीणा, श्री हेमन्त कुमार मीणा, श्री नानगराम बैरवा एवं श्री धारासिंह मीणा के विरूद्व कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक **6.12.2024** द्वारा सीसीए नियम–16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके है, जिसकी जॉच कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है। • श्री महाराज सिंह गुर्जर के विरूद्व कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक **8.10.2024** से प्रस्ताव स्तर पर समाप्त किया गया है।

क्र सं	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन का विवरण	पुष्टि दिनांक	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई
10	श्री योगेश मीणा श्री हरिनारायण मीणा	तत्कालीन सहायक अभियन्ता, उपखण्ड दूदू कनिष्ठ अभियन्ता, उपखण्ड दूदू	जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत बीसलपुर दूदू जल प्रदाय योजना में 108 ग्राम एवं 289 ढाणियो हेतु उच्च जलाशय, स्वच्छ जलाशय, पम्प हाउस एवं पाईप लाईन (अनुमानित लागत राशि रूपये 149.81 करोड कार्य में) के कार्यो में कम गहराई पर पेयजल लाईन बिछाने तथा विभागीय अभियन्ता एवं संवेदक द्वारा मिलीभगत कर गैर रिहायशी क्षेत्रो में भू–माफियाओ के संरक्षण एवं व्यक्तिगत लाभ हेतु विभागीय पेयजल वितरण लाईन को अनावश्यक रूप से डालने की शिकायत की जॉच हेतु योजना के तहत किये गये कार्यो का निरीक्षण दल द्वारा मौका मुआयना कर तैयार प्राथमित जॉच रिपोर्ट अनुसार दूदू नरेना रोड पर मौके पर पेजजल लाईन कम गहराई में लाईन डाली हुई पायी जाने तथा कार्य की माप पुस्तिका में अंकित गहराई मौके पर पाई गई गहराई के अनुरूप नहीं होने, दूदू–मालपुरा रोड पर डाली गई वितरण तंत्रिका का व्यास लगभग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा जॉच दल को मौके पर क्षेत्र के लिए अनुमोदित ड्राइंग एवं डिजाईन उपलब्ध नहीं कराने हेतु	1.03.2024	.....	.....	6.3.2024	श्री योगेश मीणा एवं श्री हरिनारायण मीणा के विरूद्व कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 4.10.2024 द्वारा सीसीए नियम–16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये गये है, जिसकी जॉच कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।

क सं	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन का विवरण	पुष्टि दिनांक	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई
11	श्री जे.पी.गुप्ता श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित, श्री मुकेश मानतवाल श्री सुनील माथुर श्री दीपक कुमार सिंह श्री रामसिंह मीणा श्री सार्थ सिंदोलिया	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता (वर्तमान में सेवानिवृत) अधिशाषी अभियन्ता अधिशाषी अभियन्ता सहायक अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियंता कनिष्ठ अभियंता	खण्ड बालोतरा (बाडमेर), जन स्वा0 अभि0 विभाग के अधीन प्रगतिरत कार्यों के कियान्वयन में अनियमितताओं की जांच के दौरान जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाई गई कमियों के संबंध में मुख्य अभियंता (प्रशासन) द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं प्रशासनिक विभाग की टिप्पणी अनुसार गंभीर अनियमितता बाबत् ।	07.05.2024		श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित, श्री मुकेश मानतवाल, श्री सुनील माथुर श्री दीपक कुमार सिंह एवं श्री रामसिंह मीणा द्वारा निलम्बन आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है।		• श्री सुनील माथुर, श्री दीपक कुमार सिंह एवं श्री रामसिंह मीणा के विरूद्व कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक **4.12.2024** से सीसीए नियम–**16** के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके है, जिसकी जॉच कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है। • श्री सार्थ सिंदोलिया के विरूद्व कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक **4.12.2024** से प्रस्ताव स्तर पर समाप्त किया गया है।
12	श्री अनिल कच्छावा	तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता	जलदाय विभाग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ब्लॉक सांवला में विभिन्न ग्रामो में उच्च जलाशय, खुला कुआं निर्माण, पाईप लाईन बिछाने के कार्य में अनियमितता बाबत् । (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज अपराध संख्या 299/2024)	कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025		.....		.....